न्यायालयः–

विशिष्ठ न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.प्र.) बारां, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी

श्री लोकेश कुमार शर्मा

(RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः–23.04.2025

प्रकरण संख्याः– सेशन प्रकरण सं. 157/2016

सीआईएस नं. 167/2016

CNR No. RJBR050001922016

एफआईआर सं. 137/2016 पुलिस थाना–सदर बारां, जिला बारां

अपराध अंतर्गत धारा 341, 354, 323, 325, 308, 34 IPC व धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(va) SC/ST act

PART– I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1–मुरारीलाल पुत्र हंसराज माली, उम्र–19 वर्ष (वर्तमान उम्र–28 वर्ष), निवासी–खेड़ी जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां(राज.) **(मफरूर दिनांक 10.02.2025)** 2–प्रेमराज पुत्र हंसराज माली, उम्र–30 वर्ष (वर्तमान उम्र 39 वर्ष), निवासी–खेड़ी जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां(राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री चैन सिंह सिरोहिया

B

अपराध की दिनांक	19.04.2016
एफआईआर की दिनांक	19.04.2016
आरोप पत्र की दिनांक	16.09.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	15.11.2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि	23.04.2025

निर्णय सुनाने की दिनांक		23.04.2025
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	23.04.2025

C :अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/ अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपी सी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
1	प्रेमराज	29.04.2016	02.05.2016	341,354,323,325,308,34 IPC व धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(va) SC/ST act	दोषसिद्ध	पैरा संख्या 46 के अनुसार	4 दिन

PART– II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम एवं आयु	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1	पीड़िता का पति/परिवादी	COMPLAINT, INJURED WITNESS
PW2	बबलू	OTHER WITNESS
PW 3	पीड़िता/आहता	INJURED WITNESS
PW4	छोटूलाल	OTHER WITNESS
PW5	पीड़िता का पुत्र	EYE WITNESS
PW6	जीतराम नागर	MEDICAL WITNESS
PW7	पीड़िता का पुत्र	EYE WITNESS
PW8	डॉ जगदीश यादव	MEDICAL WITNESS
PW9	श्रीराम बढेसरा	POLICE WITNESS
PW10	धनराज	POLICE WITNESS
PW11	जगदीशचंद	POLICE WITNESS
PW12	चन्द्रप्रकाश	OTHER WITNESS
PW13	प्रदीप हापावत	POLICE WITNESS

(B) बचाव साक्षी

RANK	**NAME**	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	**NAME**	**NATURE OF EVIDENCE** (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. स.	**प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित**	**वर्णन**
1	Ex P1 / 01.07.2019 PW1, PW10, PW11	तहरीरी रिपोर्ट
2	Ex P2 / 01-07-2019 PW1, PW2, PW4	नक्शा मौका
3	Ex P3 / 01-07-2019 PW1	जाति प्रमाण पत्र
4	Ex P4 / 19-07-2022 PW3	बयान 164 द.प्र.सं. रामजानकी
5	Ex P5 / 19-07-2022 PW3	आदेशिका
6	Ex P6 / 19-07-2022 PW3	सम्मन
7	Ex P7 /06-01-2024 PW6, PW8	एक्स रे कवर नोट
8	Ex P8 To P 11 / 06-01-2024 PW6, PW8	एक्स रे प्लेट
9	Ex P12 / 13-03-2024 PW8	चोट प्रतिवेदन रमेश
10	Ex P12 / 13-03-2024 PW9	आरोप पत्र
11	Ex P13 / 13-03-2024 PW10, PW11	एफ आई आर
12	Ex P13 / 04-03-2025 PW12	बयान 161 द.प्र.सं. चन्द्रप्रकाश
13	Ex P14 / 17-03-2025 PW13	फर्द गिरफ्तारी मुरारीलाल
14	Ex P15 / 17-03-2025 PW13	फर्द गिरफ्तारी प्रेमराज

(B) बचाव प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
–	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्शः

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
निल	निल	निल

(D) सारवान वस्तु एवं मालखानाः

क्र. सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

PART–III

1– **प्रकरण में अभियुक्त मुरारीलाल दिनांक 10.02.2025 से मफरूर है। अतः यह निर्णय केवल अभियुक्त प्रेमराज की हद तक ही पारित किया जा रहा है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है, इसलिए पहचान उजागर नहीं करने के उद्देश्य से निर्णय में पीड़िता के पति को RC, पीड़िता को R, पीड़िता के दोनों पुत्रों को A व V नाम से सम्बोधित किया जावेगा।** संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 19.04.2016 को परिवादी ने जैर इलाज भर्ती राजकीय चिकित्सालय बारां श्री घनश्याम ए.एस.आई. थाना सदर बारां को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम खेड़ी जागीर का रहने वाला है। दिनांक 17–18.04.2016 को रात्रि के 01.00 बजे करीब वह खेत पर उसके मकान के पास मुरारी माली के ट्रेक्टर से गेंहू की फसल निकलवा रहा था तो मुरारी ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ कर छेड़खानी व बेइज्जती की तो उसकी पत्नी के कहने पर उसने मुरारी माली को फटकारा व पकड़ कर धक्का मार कर दूर किया तो मुरारी माली ने फोन करके अपने दोनों भाईयों प्रेमराज व महेन्द्र को बुलाया तो इन तीनों भाईयों ने उसे रोक कर लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसके दोनों हाथों में और सिर पर चोट आयी है। ये तीनों उसके साथ मारपीट कर ट्रेक्टर लेकर भाग गये, थ्रेसर को वहीं छोड़ गये। उस समय मौके पर उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे और दो लड़किया थी। उसके साथ मारपीट की सुनने पर उसे घायल अवस्था में नन्दकिशोर सुमन एम्बूलेंस से सरकारी अस्पताल बारां लेकर आया,.......इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बारां सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2016 अपराध अंतर्गत धारा 341, 354, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता व

धारा 3(i)(X) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 16.09.2016 को अभियुक्तगण मुरारीलाल व प्रेमराज के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 354, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश दिए गए।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर **अभियुक्त प्रेमराज के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 354, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– अभियुक्त प्रेमराज को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूंठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

6– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि

(i) आया कि अभियुक्त प्रेमराज ने अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी का सदोष अवरोध कारित करते हुए उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की?

(ii) आया कि अभियुक्त प्रेमराज ने अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी/आहत के साथ मारपीट कर इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोटें कारित की कि यदि उक्त चोटों से आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता?

(iii) आया कि अभियुक्त प्रेमराज ने अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी की पत्नी की लज्ञा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर उसका हाथ पकड़ कर छेड़खानी की व उसकी लज्ञा भंग की?

(iv) आया कि अभियुक्त प्रेमराज ने यह जानते हुए कि परिवादी की पत्नी जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, उसकी लज्ञा भंग करने के आशय से छेड़छाड़ कर लैंगिक प्रकृति का कृत्य किया?

(V) आया कि अभियुक्त ने परिवादी को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 325 का अपराध कारित किया?

(vi) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामाग्री से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर परिवादी/आहत के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की हैं तथा उसका आपराधिक मानव वध करने का प्रयास किया है। परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। अभियुक्त द्वारा परिवादी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में गवाहान के बयानों में अत्यधिक अंतर एवं विरोधाभास है। अभियुक्त प्रेमराज द्वारा परिवादी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया जाना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रहा है। वास्त में सह–अभियुक्त द्वारा परिवादी के खेत में थ्रेसर से गेंहू निकाले जा रहे थे, लेकिन थ्रेसर के किराये की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके कारण यह झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। स्वयं परिवादी ने अभियुक्त व उसके भाईयों के साथ लड़ाई–झगड़ा किया था। अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है। आहत के जो चोटें कारित हुई हैं, उनमें से कोई भी चोट जीवन के लिए प्राणघातक नहीं है। परिवादी ने अपने बयानों में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि कौनसी चोट किस अभियुक्त के द्वारा मारी गयी थी। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10– प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उसमें गवाह पी.ड. 01 RC जो स्वयं परिवादी है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि करीब 3 साल पहले की रात के करीब 10 बजे की बात है। मुरारी ने थ्रेसर चालू कर दिया था। उसकी तबियत खराब थी वह नीम के नीचे सो रहा था तब मुरारी ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और धक्का दे दिया। उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने मुरारी से कहा कि तूने हाथ पकड़कर क्यों धक्का दिया तो मुरारी ने अपने दोनों भाईयों प्रेमराज व महेन्द्र को बुला लिया। वे लकड़ी लेकर आए और उन्होंने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की। उसके दोनों हाथ टूट गए थे। उसके 6–7 जगह चोटें आई थी। उक्त गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी.02

पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श पी.03 होने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ मुरारीलाल द्वारा नहीं देखा। यह कहना सही है कि इस घटना से पहले हमारा मुल्जिमान के साथ अच्छा व्यवहार और प्रेम था। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमान के पिता से 25 हजार रुपये उधार ले रखे हों। यह कहना गलत है कि गेंहू का किराया नहीं देने से ही हमारा झगड़ा हुआ हो। यह कहना सही है कि उसके सिर में चोट लगते ही वह नीचे गिर गया था व बेहोश हो गया था। यह कहना गलत है कि उसके हाथों पर पत्थरों का कोट गिर गया हो, उससे चोट आयी हो।

11- गवाह पी.ड. 02 बबलू ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि नक्शा मौका में क्या लिखापढ़ी की थी उसे पता नहीं है।

12- गवाह पी.ड. 03 R जो कि परिवादी की पत्नी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह, उसके दोनों बच्चे A व V काम कर रहे थे। फिर मुरारी ने ट्रेक्टर बंद कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ कर उसे खेत में ले जाने लगा। फिर वह मुरारी से अपना हाथ छुड़ा कर भाग आयी। उसने यह घटना उसके पति को बतायी तो उसके पति ने मुरारी से कहा कि तूं गेंहू निकालने आया या मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने आया था। इतना कहने पर मुरारी ने गांव में फोन कर अपने भाई प्रेम व महेन्द्र को बुला लिया। प्रेमराज, मुरारी व महेन्द्र ने लट्ठ से उसके पति के दोनों हाथ तोड़ दिये और उसके पति के सिर में 7-8 चोट मारी थी। उक्त गवाह ने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी.04, आदेशिका प्रदर्श पी.05 व सम्मन प्रदर्श पी.06 पर अपनी अंगूठा निशानी होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि जब उसने उसके हिस्से के गेंहू मांगे और हमने मना किया तब उसने ट्रेक्टर बंद कर दिया हो। यह कहना सही है कि मुरारी उसके बेटे की बराबर का है, लेकिन उसने उसका हाथ तो पकड़ा था।

13- गवाह पी.ड. 04 छोटूलाल ने भी नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

14- गवाह पी.ड. 05 A जो परिवादी का पुत्र होकर घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह, उसकी मम्मी व उसका भाई थ्रेसर में गाला दे रहे थे। 12-01 बजे हमारे गेंहू थ्रेसर से निकल गये। मुरारी ने काम करते समय उसकी मम्मी R का हाथ पकड़ लिया और उनको कुछ अपशब्द कहे, उसके बाद उसकी मम्मी उसके पापा के पास चली गयी। फिर मुरारी से उसकी मां ने कहा कि तू ने मेरे साथ छेड़छाड़ क्यों करी। इसी बात पर मुरारी ने फोन करके महेन्द्र को बुला लिया व कहा कि मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी यह झूठा नाम लगा रही है। मुरारी, महेन्द्र व प्रेमा तीनों ने मिल कर उसके पिताजी के साथ मारपीट की, जिससे उसके पिताजी के हाथ पैरों में जगह-जगह चोटें आयी थी। जिरह में इस गवाह ने कथन

किया है कि यह कहना सही है कि मुरारी अपने ट्रेक्टर से हमारे जमीन की हंकाई, उराई वगैरह करता था, हमारा आपस में अच्छा प्रेम था। यह कहना गलत है कि गेंहू निकलने के बाद अपने भाड़े के गेंहू मांगने के कारण उसके पिता ने मुरारीलाल के साथ मारपीट की हो। यह गलत है कि उसके पिता शराब पीकर गिर गये हों और जिससे उनके चोटें आयी हो। यह कहना सही है कि उसने उसकी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए मुल्जिम को देखा था।

15– पी.ड. 06 जीतराम नागर ने डॉक्टर जे.पी. यादव के निर्देशन में आहत रमेशचंद की चोटों का एक्सरे करना, एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी.07 तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.08 लगायत 11 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

16– गवाह पी.ड. 07 V भी परिवादी का पुत्र है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि मुरारी ने उसकी मम्मी का हाथ पकड़ा तो उसकी मम्मी उससे हाथ छुड़ा कर घर पर उसके पापा के पास आ गयी। इतने में ही मुरारी ने उसके भाईयों महेन्द्र और प्रेम को फोन करके बुला लिया। हमारा खेत घर के पास ही है तो उसके पिताजी के साथ प्रेमराज, महेन्द्र व मुरारी ने लकड़ियों से मारपीट की। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि वक्त घटना वह, उसका बड़ा भाई और उसकी मम्मी ही खेत पर थे। हम सीधे घटनास्थल से हमारे पिताजी को सीधे अस्पताल ही लेकर गये थे। उसकी मम्मी से मुरारी ने छेड़छाड़ की थी।

17– गवाह पी.ड. 08 डॉ. जगदीशचंद यादव ने आहत रमेशचंद की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.12 बनाना बताया है, जिसमें अंकित चोट संख्या 03 व 04 गंभीर प्रकृति की तथा अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि चोट संख्या 1, 2 व 7 सिर में हैं जो साधारण प्रकृति की हैं। अगर कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ पत्थरों के ढेर पर गिर जावे तो चोट नंबर 03 और 04 को छोड़ कर बाकी सभी चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

18– गवाह पी.ड. 09 श्रीराम बढ़सरा ने अभियुक्त मुरारीलाल व प्रेमराज के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश करना बताया है। गवाह पी.ड. 10 धनराज ने प्रकरण में आहत रमेशंचद द्वारा राजकीय चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान लिखित रिपोर्ट पेश करना, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 है, जिस पर स्वयं का पृष्ठांकन व हस्ताक्षर होना तथा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.13 होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि तहरीरी रिपोर्ट किसने लिखी थी उसे पता नहीं है। गवाह पी.ड. 11 जगदीशचंद ने धनराज ए.एस.आई. द्वारा तहरीरी रिपोर्ट लाकर पेश करने पर चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.13 दर्ज करना बताया है। गवाह पी.ड. 12 चन्द्रप्रकाश घटना का गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

19– गवाह पी.ड. 13 प्रदीप कुमार हापावत जो प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, ने दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध करना, आहत की एम.एल.सी. व एक्सरे रिपोर्ट शामिल पत्रावली करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसने मेडीकल नहीं

करवाया था, थाने से हुआ था। उसने परिवादी के कथनों के आधार पर धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना पाया था। उसने मुल्जिमान से कोई हथियार बरामद नहीं किया था।

20– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 1 –</u>

21– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के उपरांत हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्त प्रेमराज के विरुद्ध धारा 341, 323/34, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त प्रेमराज ने परिवादी RC का सदोष अवरोध कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की। इस संबंध में परिवादी द्वारा जो रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 दर्ज करवायी गयी है, उसमें सह–अभियुक्त मुरारी द्वारा उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर छेड़खानी करना और इस बाबत् उसे फटकारने पर उसके द्वारा अपने भाई प्रेमराज, महेन्द्र को बुला लेना और तीनों भाईयों द्वारा उसे रोक कर उसके साथ लकड़ियों से मारपीट करना, जिससे उसके दोनों हाथों और सिर पर चोटें आने का तथ्य बताया है।

22– उक्त परिवादी RC पी.ड. 01 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में भी मुरारी द्वारा अपने भाई प्रेमराज व महेन्द्र को बुला लेना और इनके द्वारा उसके साथ लकड़ियों से मारपीट करना बताया है। उक्त गवाह ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि मारपीट से उसके दोनों हाथ टूट गये थे। उसके माथे पर चोट लगी थी और खून निकला था। पीठ व पैरों पर भी चोट लगी थी। परिवादी की पत्नी पी.ड. 03 R ने भी मुरारी द्वारा हाथ पकड़ने की बात अपने पति को बताने पर तथा उसके पति द्वारा मुरारी को उलाहना देने पर मुरारी द्वारा गांव में फोन कर प्रेमराज को बुला लेना तथा प्रेमराज, मुरारी व महेन्द्र द्वारा उसके पति के साथ मारपीट करना, जिससे उसके दोनों हाथ टूट जाना बताया है। घटना के समय परिवादी के दोनों पुत्र भी उपस्थित होना बताया है, जिनमें से पी.ड. 05 A ने भी मुरारी, महेन्द्र और प्रेमराज द्वारा उसके पिताजी के साथ मारपीट करना बताया है। परिवादी का अन्य पुत्र V पी.ड. 07 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने भी अपने बयानों में प्रेमराज, महेन्द्र व मुरारी द्वारा लकड़ियों से मारपीट करना बताया है। इस प्रकार स्वयं परिवादी और घटना के समय उपस्थित उसकी पत्नी व दोनों पुत्र अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त प्रेमराज द्वारा अन्य के साथ मिल कर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी RC के साथ मारपीट करने का कथन कर रहे हैं। उक्त गवाहान से ऐसी कोई जिरह नहीं हुई है, जिससे अभियुक्त प्रेमराज के घटनास्थल पर आने या उसके द्वारा मारपीट करने के संबंध में कोई विरोधाभास नजर आता हो।

23– प्रकरण में मेडीकल ज्यूरिष्ट डॉक्टर जगदीशचंद यादव पी.ड. 08 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने आहत RC की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.12 बनाना, जिसमें अंकित चोट संख्या 3 व 4 गंभीर प्रकृति की तथा अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की होने और सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आहत के कथनों की पुष्टि हो रही है। प्रकरण में रेडियोग्राफर जीतराम पी.ड. 06 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने डॉ. जे.पी. यादव के निर्देशन में आहत के सिर, बायीं कलाई एवं दायीं कलाई का एक्सरे करना बताया है।

24– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से तर्क रहा है कि घटना के समय अभियुक्त प्रेमराज मौके पर उपस्थित नहीं था। परिवादी ने अपने बयानों में भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस अभियुक्त द्वारा उसके कहां चोट मारी, जिससे भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रेमराज मौके पर नहीं था, किंतु उक्त तर्क के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि स्वयं परिवादी पी.ड.01 RC ने अपने बयानों में प्रेमराज द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया है। परिवादी की पत्नी पी.ड. 03R ने भी प्रेमराज व अन्य द्वारा उसके पति के साथ मारपीट करने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहों के बयानों से अभियुक्त प्रेमराज का मारपीट में सक्रिय रूप से भाग लेना और सामान्य आशय के अग्रसरण में चोटें कारित करना प्रकट हो रहा है। जहां अभियुक्त प्रेमराज द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर मारपीट करना प्रकट हो रहा है तो विशिष्ठ रूप से उसके द्वारा आहत के कहां चोट मारी यह नहीं बताने के आधार पर ही परिवादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

25– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि थ्रेसर से गेंहू निकालने के संबंध में किराये की बात पर परिवादी व अभियुक्त मुरारी का विवाद हुआ था और स्वयं परिवादी व उसके परिजनों ने मुरारी के साथ मारपीट की थी, जिससे बचने के लिए यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है, किंतु इस संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि पी.ड. 01 RC ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गेंहू पूरे निकलने से पहले ही झगड़ा हो गया था। आगे इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि गेंहू का किराया नहीं देने से हमारे झगड़ा हुआ हो। पी.ड. 03 R ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि मुरारी उसके बच्चों के बराबर का है, लेकिन उसने उसका हाथ तो पकड़ा था। पी.ड. 05 A ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि गेंहू निकालने के बाद अपने भाड़े के गेंहू मांगने के कारण उसके पिता ने मुरारीलाल के साथ मारपीट की हो। पी.ड. 07 V ने भी अपनी जिरह में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कथन किया है कि उसकी मम्मी से मुरारी ने छेड़छाड़ की थी। यह कहना गलत है कि हमारे खेत पास–पास होने के कारण फसल का विवाद हो और इसलिए यह मुकदमा करवाया हो। इस प्रकार उक्त सभी गवाहों के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि परिवादी की पत्नी का सह–अभियुक्त द्वारा हाथ पकड़ने की बात को लेकर परिवादी द्वारा उलहाना देने पर सह–अभियुक्त द्वारा अभियुक्त प्रेमराज को मौके पर बुलाना और सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट करना बताया है। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त मुरारी के साथ किसी प्रकार की कोई

मारपीट की गयी हो इस संबंध में मुरारी का कोई चोट प्रतिवेदन या इलाज का पर्चा पत्रावली पर पेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से दिया गया यह तर्क कि उनके बीच गेंहू थ्रेसर से निकालने की मजदूरी बाबत् विवाद था और स्वयं परिवादी ने अभियुक्त के साथ मारपीट की थी, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

26– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि परिवादी ने घटना के समय शराब पी रखी थी और उसके वहां पत्थरों पर गिर जाने से चोटें आयी हैं, लेकिन इस संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि आहत के कुल 07 चोटें कारित हुई हैं, जिसके संबंध में पी.ड. 08 डॉ. जगदीशचंद यादव ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति दौड़ते हुए पत्थरों के ढेर पर गिर जावे तो चोट नम्बर 3 और 04 को छोड़ कर बाकी सभी चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि आहत के शराब के नशे में गिरने–पड़ने से चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 12 में उल्लेखित सभी चोटें आ सकती हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता हो कि घटना के समय आहत शराब के नशे में मौके पर गिर गया हो। इसके अतिरिक्त यहां पर यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि पी.ड. 01 RC ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि इस घटना से पहले हमारा मुल्जिमान के साथ अच्छा व्यवहार और प्रेम था। जहां परिवादी अभियुक्त के साथ पूर्व से अच्छा व्यवहार होना बता रहा है तो उसके द्वारा शराब के नशे में गिरने–पड़ने की स्थिति में अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने का कोई कारण भी नजर नहीं आता है।

27– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि घटना रात्रि के समय की होना बतायी है और उस समय अभियुक्त मुरारी द्वारा परिवादी के खेत पर ही थ्रेसर से गेंहू निकालते समय यह विवाद होना प्रकट हो रहा है, ऐसी स्थिति में रात्रि के समय किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होना और उनके द्वारा लड़ाई–झगड़ा देखा जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। पी.ड. 01 RC, पी.ड. 03 R, पी.ड. 05 A व पी.ड. 07 V ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त प्रेमराज का अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर परिवादी के साथ लकड़ियों से मारपीट करना बताया है। उक्त गवाहान के बयानों से अभियुक्त प्रेमराज की मौके पर उपस्थिति बाबत् तथा उसके द्वारा मारपीट करने के संबंध में किसी प्रकार का विरोधाभास दर्शित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं आहत के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य पड़ौसी गवाह द्वारा घटना की पुष्टि नहीं करने के आधार पर उक्त गवाहों के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

28– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रेमराज द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर परिवादी/आहत RC को उसके खेत पर पकड़ कर व रोक कर कुंदालय लकड़ियों से मारपीट की। आहत के 02 चोटें बायें हाथ व दायें हाथ पर गंभीर प्रकृति की कारित होना व अन्य 05 चोटें साधारण प्रकृति की कारित होना साक्ष्य से प्रकट हो

रहा है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी का सदोष अवरोध कारित करते हुए उसके साथ कुंदालय से वार कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित की। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323/34, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप से संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 02–</u>

29– जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त प्रेमराज द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिल कर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के साथ मारपीट कर ऐसे आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोटें कारित की कि यदि उन चोटों से परिवादी की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। इस प्रकार धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए अभियुक्त का आशय व ज्ञान महत्वपूर्ण है। साथ ही उन परिस्थितियों पर भी गौर किया जाना आवश्यक है, जिन स्थितियों में घटना कारित हुई है। इस संबंध में आहत के कारित चोटों की प्रकृति के साथ–साथ न्यायालय को यह भी देखना होता है कि अपराध कारित करने में किस प्रकार के हथियार काम में लिये गये हैं। चोट कारित करते समय आरोपित बल की मात्रा क्या थी, घटना योजनाबद्ध तरीके से कारित की गयी थी अथवा अकस्मात कारित हुई थी, अभियुक्त के पास अवसर होने पर भी उसके द्वारा आहत के मार्मिक अंग पर कोई गंभीर चोट कारित की गयी या नहीं। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही अभियुक्त का आशय निर्धारित किया जा सकता है।

30– हस्तगत प्रकरण में ऊपर किये गये साक्ष्य के विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि आहत RC के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.12 में चोट संख्या 03 व 04 गंभीर प्रकृति की बतायी हैं जो क्रमशः बायें हाथ की अग्रभुजा व दायें हाथ की अग्रभुजा पर कारित होना प्रकट हुआ है जो आहत के किसी मार्मिक अंग पर कारित नहीं हुई है। आहत के जो अन्य पांच चोटें साधारण प्रकृति की कारित हुई हैं, उनमें से चोट संख्या 5 व 6 बायें कंधे पर 1X1 सेमी की खरोंच हैं। अन्य तीन चोटों में से चोट नंबर एक 1X1X0.5 Cm. ललाट के बीच में कुचला हुआ घाव होना बतायी है, चोट संख्या 02 ललाट के बायीं तरफ 2X2 Cm. की खरोंच है तथा चोट संख्या 07 सिर के पिछले हिस्से पर सूजन होना बताया है। मेडीकल ज्यूरिष्ट डॉक्टर जगदीश यादव ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि उक्त चोट संख्या 01, 02 एवं 07 सिर में हैं जो साधारण प्रकृति की हैं। इस प्रकार उक्त तीनों चोटें जो आहत के मार्मिक अंग सिर व ललाट पर कारित हुई हैं, वे साधारण प्रकृति की होना प्रकट हो रही हैं। उक्त चोटों की प्रकृति व आकार को देखते हुए यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उक्त चोटें सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित कर सकती हो। इस प्रकार उक्त चोटों की प्रकृति तथा चोटों के नाप या आकार को देखते हुए यह दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा अत्यधिक बल से प्रहार किया गया हो, ऐसी स्थिति में अभियुक्त का आशय आहत का आपराधिक मानव वध करने का नहीं माना जा सकता।

31– यहां पर घटना की परिस्थितियों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य पूर्व की कोई रंजिश होना प्रकट नहीं हुआ है। घटना के समय सह–अभियुक्त मुरारी का परिवादी से विवाद होने पर ही अभियुक्त प्रेमराज द्वारा आकर परिवादी के साथ मारपीट करना प्रकट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यह भी दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व की कोई दुश्मनी के कारण योजनाबद्ध तरीके से परिवादी के साथ मारपीट की हो। यहां पर यह भी विचारणीय तथ्य है कि घटना के समय मौके पर परिवादी के दोनों बच्चे और पत्नी ही मौके पर उपस्थित थे तथा अभियुक्त के अलावा अन्य सह–अभियुक्त द्वारा भी मारपीट करना बताया है। हालांकि अभियुक्तगण से लकड़ियों की बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है, परंतु घटना के समय अभियुक्तगण के पास लकड़ियां होना बताया है तो ऐसी स्थिति में उनके पास इस बात का पर्याप्त अवसर था कि वे आहत के मार्मिक अंगों पर और ज्यादा चोटें कारित करते या कोई गंभीर चोट कारित करते, लेकिन परिवादी के मार्मिक अंग सिर पर न तो कोई गंभीर उपहति कारित हुई है और न ही चोटों की प्रकृति व आकार इस प्रकार का है, जिससे अभियुक्त का आशय आहत का आपराधिक मानव वध किये जाने का प्रकट हो रहा हो।

32– इस संबंध में **न्यायिक दृष्टांत बस्तीराम व अन्य बनाम स्टेट ओफ राजस्थान, 2007 क्रि.ला.ज. 3359** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

10. Section 308 IPC is 'per verba et literis', the same as Section 307 IPC, with the only difference that it relates to an attempt to commit culpable homicide whereas Section 307 relates to an attempt to commit murder. Punishment under Section 308 IPC as provided is consequently also less. In other respects the constituting element of the two sections are the same.

33– इसी प्रकार न्यायिक निर्णय **हरिकिशन व अन्य बनाम सुखबीर सिंह व अन्य 1988 एआईआर 2127** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

Under s.307 IPC what the Court has to see is, whether the act irrespective of its result, was done with the intention or knowledge and under circumstances mentioned in that section. The intention or knowledge or the accused must be such as is necessary constitute' murder. Without this ingredient being established, there can be no offence of "attempt to murder". Under s. 307 the intention precedes the act attributed to accused. Therefore, the intention is to be gathered from all circumstances, and not merely from the consequences that ensue. The nature of the weapon used, manner in which it is used. motive for the crime, severity of the blow, the part of the

body where the injury is inflicted are some of the factors that may be taken into consideration it, determine the intention. In this case, two parties in the course of a fight inflicted on each other injuries both serious and minor. The accused though armed with ballam never used the sharp edge of it. They used only the blunt side of it despite they being attacked by the other side. They suffered injuries but not provoked or tempted to use the cutting edge of the weapon. It is very very significant. It seems to us that they had no intention to commit murder. They had no motive either. The fight as the High Court has observed, might have been a sudden flare up. Where the fight is accidental owing to a sudden quarrel, the conviction under s. 307 is generally not called for.

34– इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत Bishan Singh & Anr vs The State SLP (Cr.) 2273/2007 निर्णय दिनांक 09.10.2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है किः–

11. Before an accused can be held to be guilty under Section 308 IPC, it was necessary to arrive at a finding that the ingredients thereof, namely, requisite intention or knowledge was existing. There cannot be any doubt whatsoever that such an intention or knowledge on the part of the accused to cause culpable homicide is required to be proved. Six persons allegedly accosted the injured. They had previous enmity. Although overt–act had been attributed against each of the accused who were having lahtis, only seven injuries had been caused and out of them only one of them was grievous, being a fracture on the arm, which was not the vital part of the body.

12. The accused, therefore, in our opinion, could not be said to have committed any offence under Section 308 IPC. The same would fall under Section 323 and 325 thereof.

35– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण की साक्ष्य का विवेचन करें तो यह स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रेमराज की आहत से पूर्व की कोई दुश्मनी होना प्रकट नहीं हुआ है। सह–अभियुक्त मुरारीलाल का परिवादी से विवाद होने पर अभियुक्त प्रेमराज द्वारा वहां आकर लड़ाई–झगड़ा करना प्रकट हुआ है। इस प्रकार अभियुक्त प्रेमराज द्वारा कोई रंजिशवश मारपीट करना या पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मारपीट करना प्रकट नहीं हो रहा है। आहत के दो चोटें गंभीर प्रकृति की हैं जो किसी मार्मिक अंग पर कारित नहीं हुई हैं। अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं तथा उन चोटों का नाप या आकार

भी ऐसा नहीं है जो अभियुक्त द्वारा तीव्र प्रहार करने या अत्यधिक बल से चोटें कारित करना दर्शाता हो। आहत के मार्मिक अंग पर जो साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुई हैं, उन्हें चिकित्सक ने जीवन के लिए प्राणघातक होने का कोई कथन नहीं किया है। आहत के मार्मिक अंग पर कारित चोटों की प्रकृति व आकार से यह प्रकट नहीं हो रहा है वे आहत की सामान्य परिस्थिति में मृत्यु कारित कर सकती हों। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त प्रेमराज ने सह–अभियुक्त के साथ मिल कर इस आशय, ज्ञान व परस्थितियों में परिवादी/आहत के साथ मारपीट कर चोटें कारित की हों कि उसका आपराधिक मानव वध किया जा सके। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 03–

36– जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी की पत्नी के साथ छेड़खानी की। इस संबंध में परिवादी द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 प्रस्तुत की गयी है, उसमें सह–अभियुक्त मुरारी द्वारा परिवादी की पत्नी का हाथ पकड़ कर छेड़खानी करना बताया है और बाद में मुरारी द्वारा अपने भाई प्रेमराज को फोन कर के बुलाना बताया है। इस प्रकार जहां रिपोर्ट में ही परिवादी ने विशिष्ठ रूप से मुरारी द्वारा उसकी पत्नी का हाथ पकड़ना बताया है और उस घटना के समय अभियुक्त प्रेमराज का वहां उपस्थित होना भी प्रकट नहीं हो रहा है तो अभियुक्त प्रेमराज का आहत की पत्नी का हाथ पकड़ने या छेड़खानी किये जाने के संबंध में सामान्य आशय होना दर्शित नहीं हो रहा है। पी.ड. 03 R पीड़िता ने भी अपने बयानों में स्पष्ट रूप से मुरारी द्वारा हाथ पकड़ कर खेत में ले जाने का कथन किया है और उससे हाथ छुड़ा कर भाग आना, अपने पति को बताने पर उसके द्वारा मुरारी को उलहाना देना और मुरारी द्वारा फोन करके अपने भाई प्रेमराज को बुला लेना बताया है। उक्त पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं0 प्र0 सं0 प्रदर्श पी.04 में भी स्पष्ट रूप से मुरारी द्वारा ही हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करना बताया है। इस प्रकार स्वयं पीड़िता के कथनों से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जिस समय वह सह–अभियुक्त मुरारी द्वारा हाथ पकड़ना बता रही है, उस समय अभियुक्त प्रेमराज मौके पर उपस्थित रहा हो। अन्य गवाह पी.ड. 01 RC पीड़िता के पति व पीड़िता के दोनों पुत्र पी.ड. 05 A तथ पी.ड.07 V के कथनों से भी यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त प्रेमराज को बाद में फोन करके बुलाया गया था, ऐसी स्थिति में यह दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त प्रेमराज का सामान्य आशय परिवादी/आहत की पत्नी के साथ छेड़खानी करने का रहा हो। उक्त अभियुक्त प्रेमराज द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पीड़िता के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी किया जाना भी साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रेमराज के विरुद्ध धारा 354/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 04–

37– जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3(1)(W)(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप हैं। इस संबंध में ऊपर किये गये साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रेमराज द्वारा पीड़िता का हाथ पकड़ना या छेड़खानी किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता का हाथ पकड़ कर या अन्य प्रकार से लैंगिक प्रकृति का कृत्य किया गया हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रेमराज के विरुद्ध धारा **3(1)(W)(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 05–

38– जहां तक अभियुक्त प्रेमराज के विरुद्ध धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त ने परिवादी/आहत को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की हैं व सदोष अवरोध कारित किया है और इस प्रकार अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 325 का अपराध कारित किया। इस संबंध में परिवादी ने अपना जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.03 पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित करवाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रेमराज परिवादी के गांव का है। परिवादी ने अपने बयानों में मुल्जिमान के साथ अच्छा व्यवहार और प्रेम भी होना बताया है, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 8(C) के अंतर्गत यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त को आहत व उसके परिवार की निजी जानकारी थी तथा उसे आहत की जाति या जनजाति की पहचान का पता था। हस्तगत प्रकरण में जहां दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी हैं और उनके मध्य पूर्व में अच्छा व्यवहार भी होना बताया गया है तो अभियुक्त प्रेमराज को परिवादी/आहत की जाति का पता होना स्वभाविक है। ऊपर किये गये साक्ष्य के विवेचनानुसार अभियुक्त प्रेमराज के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323/34, 325/34 का अपराध प्रमाणित हुआ है,ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरुद्ध अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप यह जानते हुए किया कि परिवादी/आहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

39– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु 01 व 05 को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में सफल रहा है तथा विचारणीय बिन्दु संख्या 02, 03 व 04 को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रेमराज को धारा **341, 323/34, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा धारा 308/34, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा **3(1)(W)(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>–आदेश–</u>

40– अतः अभियुक्त **प्रेमराज पुत्र हंसराज माली, उम्र–30 वर्ष (वर्तमान उम्र 39 वर्ष),निवासी–खेड़ी जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां(राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323/34, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा धारा 308/34, **354/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(W)(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जावेगा।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण बारां
जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवाई</u>–

41– सजा के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुना गया।

42– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से तर्क रहा है कि अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है और प्रकरण में पिछले 09 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

43– इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी/आहत का अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ स्वेच्छया गंभीर मारपीट की है। अतः अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

44– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

45– अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की हैं। अभियुक्त को धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप में भी दोषसिद्ध किया गया है, ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति व प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है, लेकिन प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित करने के बजाय निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–दण्डादेश–

46– परिणामतः अभियुक्त **प्रेमराज पुत्र हंसराज माली, उम्र–30 वर्ष (वर्तमान उम्र 39 वर्ष),निवासी–खेड़ी जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां(राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323/34, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित** किया जाकर निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः–

(i) **अभियुक्त** को **धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **01 माह के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है।

(ii) **अभियुक्त** को **धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **06 माह के साधारण कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(iii) **अभियुक्त** को **धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **दो वर्ष के साधारण कारावास व चार हजार रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(iV) **अभियुक्त** को **धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के तहत दोषसिद्धि के फलस्वरूप **दो वर्ष के साधारण कारावास व चार हजार रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

47– अभियुक्त की उक्त मूल सजाएँ साथ–साथ चलेंगी तथा पूर्व में पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि मूल सजा में समायोजित होंगी।

48– उपरोक्तानुसार अभियुक्त प्रेमराज का सजा वारण्ट बनाया जाए। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

49– अभियुक्त द्वारा उक्तानुसार जुर्माना राशि जमा होने पर सम्पूर्ण जुर्माना राशि 9000/– परिवादी/आहत रमेशचंद को बाद गुजरने मियाद अपील क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जाए।

50– प्रकरण में आहत रमेशचंद को क्षतिपूर्ति की राशि दिलाए जाने बाबत उक्तानुसार आदेश किया गया है। अतः पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अलग से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

51– अभियुक्त द्वारा धारा 437–ए सीआरपीसी के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु जमानत–मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक कराए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

52– चूंकि प्रकरण में अभियुक्त **मुरारीलाल पुत्र हंसराज माली, उम्र–19 वर्ष (वर्तमान उम्र–28 वर्ष), निवासी–खेड़ी जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां(राज.)** दिनांक 10.02.2025 से मफरूर है। अतः पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किये जाने एवं पत्रावली महफूज रखी जाने का नोट अंकित किया जावे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण बारां
जिला बारां (राज.)

53– निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण बारां
जिला बारां (राज.)